[2021] 7 एस. सी. आर. 444

द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश एंड ओआरएस।

वी.

आशीष अवस्थी

(2021 की सिविल अपील संख्या 6903)

नवंबर 18,2021

[एम. आर. शाह और संजीव खन्ना, जे. जे.]

सेवा कानून-अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति-प्रतिवादी के पिता की मृत्यु 08.10.2015 पर हुई-वह मृत्यु के समय

मृतक कर्मचारी कार्य प्रभार के रूप में सेवा कर रहा था और उसे आकस्मिकता निधि से वेतन का भुगतान किया गया था-कि प्रतिवादी को रुपये की क्षतिपूर्ति राशि प्रदान की गई थी। 2 मृतक कर्मचारी की मृत्यु के समय प्रचलित नीति के अनुसार लाखों

इसके बाद, दिनांकित परिपत्र के माध्यम से नीति में संशोधन किया गया

31.08.2016 , जिसके तहत कार्य प्रभार कर्मचारी की मृत्यु के मामले में भी, उसके उत्तराधिकारी/आश्रित अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के हकदार होंगे-प्रतिवादी ने उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने अपीलकर्ताओं को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए प्रतिवादी के मामले पर विचार करने का निर्देश दिया और/या दिनांक 31.08.2016 पर बाद की नीति/परिपत्र पर विचार करने का निर्देश दिया -

अपील की गईः अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून की तय की गई पूर्व स्थिति के अनुसार, नीति

केवल मृतक कर्मचारी की मृत्यु के समय प्रचलित नीति पर विचार करने की आवश्यकता है न कि बाद की नीति पर-मामले के इस दृष्टिकोण से, खंड पीठ द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश अस्थिर है और रद्द किए जाने के योग्य है और

अलग रखा गया-इस प्रकार, प्रतिवादी बाद के परिपत्र के आधार पर अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति का हकदार नहीं होगा।

पॉलिसी दिनांक 31.08.2016-मृतक कर्मचारी की मृत्यु के समय प्रचलित नीति/परिपत्र के अनुसार

कार्य शुल्क पर काम करने वाला कर्मचारी, उसके आश्रित/उत्तराधिकारी अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के हकदार नहीं थे और रुपये के हकदार थे। 2 क्षतिपूर्ति राशि के रूप में लाख।

अपीलों का निपटारा करते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः 1. मृतक कर्मचारी की मृत्यु 08.10.2015 पर हुई। मृत्यु के समय वे कार्य प्रभार कर्मचारी के रूप में काम कर रहे थे।

जिसे आकस्मिक निधि से वेतन का भुगतान किया गया था। मृतक कर्मचारी की मृत्यु के समय प्रचलित नीति/परिपत्र के अनुसार, यानी नीति/परिपत्र संख्या-3-12/2013/1-3 दिनांकित

29.09.2014 काम पर काम करने वाले कर्मचारी की मृत्यु के मामले में आरोप, उसके आश्रित/उत्तराधिकारी अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के हकदार नहीं थे और रुपये के हकदार थे। 2 क्षतिपूर्ति राशि के रूप में लाख। इसके बाद नीति बनी

दिनांक 1 के परिपत्र के माध्यम से संशोधित, जिसके तहत कार्य प्रभार कर्मचारी की मृत्यु के मामले में भी, उसके उत्तराधिकारी/आश्रित अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के हकदार होंगे। बाद के परिपत्र/नीति दिनांक 1 पर भरोसा करते हुए, उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने अपीलार्थियों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए प्रतिवादी के मामले पर विचार करने का निर्देश दिया है। अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून की तय की गई पूर्व स्थिति के अनुसार, मृत्यु के समय प्रचलित नीति

बाद की नीति नहीं। [पैरा 4] [447-जी-एच; 448-ए-सी] 2. भारतीय बैंक और अन्य के मामले में। बनाम प्रोमिला और अन्र। , (2020) 2 एस. सी. सी. 729, यह देखा और अभिनिर्धारित किया गया है कि अनुकंपा नियुक्ति के लिए दावे का निर्णय केवल इन आधार पर किया जाना चाहिएः

कर्मचारी की मृत्यु की तारीख पर प्रचलित प्रासंगिक योजना और बाद की योजना पर विचार नहीं किया जा सकता है। इसी तरह का दृष्टिकोण इस न्यायालय द्वारा मध्य प्रदेश राज्य और अन्य के मामले में भी लिया गया है। बनाम अमित श्रीवास, (2020) 10 एससीसी 496। यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि अमित श्रीवास के मामले में वही योजना

वर्तमान मामले में लागू होना विचाराधीन था और यह

यह अभिनिर्धारित किया गया था कि मृतक कर्मचारी की मृत्यु की तारीख को प्रचलित योजना पर ही विचार किया जाना है। मामले के उस दृष्टिकोण में, खंड पीठ द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश अस्थिर है और रद्द किए जाने और दरकिनार किए जाने के योग्य है। [पैरा 4.1] [448-सी-एफ]

बैंक ऑफ महाराष्ट्र बनाम मनोज कुमार देहरिया 2010

(4) एमपीएचटी 18-संदर्भित। इंडियन बैंक और ओआरएस। वी. प्रोमिला और अन्र। , (2020) 2

एससीसी 729: [2020] 1 एस. सी. आर. 408; मध्य प्रदेश राज्य और अन्य। वी. अमित श्रीवास (2020) 10 एस. सी. सी. 496-संदर्भित

को।

[20

21] 7 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

मामला कानून संदर्भ

[2020] 1 एससीआर 408

संदर्भित किया गया है

पै

रा 4.1

(2020) 10 एससीसी 496

संदर्भित किया गया है

पै

रा 4.1

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील No.6903

2021 .

उच्च न्यायालय के 12.12.2018 दिनांकित निर्णय और आदेश से

मध्य प्रदेश के राज्यपाल, डब्ल्यू. ए. में जबलपुर में बेंच। No.1559/2018

के साथ

2021 की सिविल अपील No.6904।

सुश्री अंकिता चौधरी, डिप्टी कमिश्नर। ए. जी., सुश्री समृद्धि जैन, सनी

चौधरी, मृणाल एल्कर मजूमदार, मनीष यादव, अधिवक्ता। अपीलार्थियों के लिए।

प्रदीप कुमार यादव, विशाल ठाकरे, गोपाल सिंह, संजीव

मल्होत्रा, हीरा सिंह रावत, अधिवक्ता। उत्तरदाता के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

एम. आर. शाह, जे.

1. विवादित फैसले से दुखी और असंतुष्ट महसूस करना

और 2018 के डब्ल्यू. ए. सं. 1559 में जबलपुर में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा पारित दिनांक <आई. डी. 1 का आदेश जिसके द्वारा उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने उक्त अपील को स्वीकार कर लिया है और उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित निर्णय और आदेश को रद्द कर दिया है

और निर्देश दिया है कि इसमें अपीलकर्ता-मूल उत्तरदाता-प्रतिवादी के दावे पर विचार करने के लिए-अनुकंपा नियुक्ति के लिए मूल रिट याचिकाकर्ता, मध्य प्रदेश राज्य ने वर्तमान अपील को प्राथमिकता दी है।

2. कि प्रतिवादी के पिता के पद पर काम कर रहे थे

सहायक अभियंता, सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियंता, जिला टीकमगढ़, मध्य प्रदेश के कार्यालय में चौकीदार। कि प्रतिवादी के पिता की मृत्यु 08.10.2015 पर हुई। कि मृत्यु के समय मृतक कर्मचारी कार्य प्रभार के रूप में कार्य कर रहा था और उसे वेतन से भुगतान किया जाता था आकस्मिक निधि। कि प्रत्यर्थी को रुपये की क्षतिपूर्ति राशि प्रदान की गई थी। 2 मृतक कर्मचारी की मृत्यु के समय प्रचलित पॉलिसी के अनुसार, यानी पॉलिसी दिनांक 29.09.2014।

वह मध्य प्रदेश और ओआरएस के राज्य के बाद। वी. आशीष अवस्थी [एम. आर. शाह, जे.]

मृतक कर्मचारी की मृत्यु, नियुक्ति के लिए नीति अनुकंपा के आधार पर दिनांक 1 के परिपत्र के माध्यम से संशोधन किया गया और यह प्रावधान किया गया कि कार्य शुल्क पर काम करने वाले कर्मचारी की मृत्यु के मामले में भी, उसका एक उत्तराधिकारी/आश्रित अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए पात्र होगा।

2.1 प्रत्यर्थी ने उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की, जिसका निपटारा विद्वान एकल न्यायाधीश ने अपीलार्थियों को कानून के अनुसार प्रत्यर्थी द्वारा पसंद किए गए अभ्यावेदन पर निर्णय लेने के निर्देश के साथ किया। कि इसके बाद प्रत्यर्थी ने अनुकंपा नियुक्ति के लिए एक आवेदन दायर किया और उसे दिनांक 15.03.2017 के आदेश के माध्यम से इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि नीति/परिपत्र दिनांक 31.08.2016 संभावित रूप से W. E. F. 22.12.2016 पर लागू होगा और चूंकि मृतक कर्मचारी की मृत्यु 08.10.2015 पर हुई, यानी, संशोधित नीति से पहले, प्रत्यर्थी अनुकंपा के आधार पर किसी भी नियुक्ति का हकदार नहीं होगा। इसके बाद प्रत्यर्थी ने 2017 की रिट याचिका संख्या 10903 के रूप में उच्च न्यायालय के समक्ष एक नई याचिका दायर की। विद्वान एकल न्यायाधीश ने उक्त रिट याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि मृतक की मृत्यु के समय प्रचलित नीति पर विचार करते हुए

कार्य प्रभार कर्मचारी, उसके आश्रित/उत्तराधिकारी अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के हकदार नहीं होंगे और बाद की नीति/परिपत्र दिनांक 31.08.2016 को लागू नहीं किया जाएगा। उत्तरदाता को वरीयता दी जाती है

डिवीजन बेंच के समक्ष एक अपील जो 2018 की डब्ल्यू. ए. No.1559 है और बैंक ऑफ महाराष्ट्र बनाम मनोज कुमार देहरिया के मामले में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ के फैसले पर भरोसा करते हुए डिवीजन बेंच ने 2010 (4) एम. पी. एच. टी. 18 में रिपोर्ट की है, डिवीजन बेंच ने अपील को स्वीकार कर लिया है और अपीलकर्ताओं को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए प्रतिवादी के मामले पर विचार करने और/या दिनांकित <आई. डी. 2 की बाद की नीति/परिपत्र पर विचार करने का निर्देश दिया है।

2.2 उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए, राज्य मध्य प्रदेश ने वर्तमान अपील को प्राथमिकता दी है।

3. हमने संबंधित पक्षों के विद्वान वकील को सुना है

लंबाई में।

4. मृतक कर्मचारी की मृत्यु 08.10.2015 पर हुई। मृत्यु के समय, वह एक कार्य प्रभार कर्मचारी के रूप में काम कर रहे थे, जिन्हें आकस्मिक निधि से वेतन दिया जाता था। मृतक कर्मचारी की मृत्यु के समय प्रचलित नीति/परिपत्र के अनुसार, यानी नीति/परिपत्र संख्या [2021] 7 एस. सी. आर.

3-12 / 2013 / 1-3 दिनांकित 29.09.2014 काम करने वाले कर्मचारी की मृत्यु के मामले में कार्य शुल्क पर, उनके आश्रित/उत्तराधिकारी अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के हकदार नहीं थे और रुपये के हकदार थे। 2 लाख के रूप में

4.1 भारतीय बैंक और अन्य के मामले में। बनाम प्रोमिला और अन्न। , (2020) 2 एस. सी. सी. 729, यह देखा जाता है और माना जाता है कि अनुकंपा नियुक्ति का निर्णय केवल प्रासंगिक आधार पर ही किया जाना चाहिए।

कर्मचारी की मृत्यु की तारीख पर प्रचलित योजना और बाद की योजना पर विचार नहीं किया जा सकता है। इसी तरह का दृष्टिकोण इस न्यायालय द्वारा मध्य प्रदेश राज्य और अन्य के मामले में भी लिया गया है। बनाम अमित श्रीवास, (2020) 10 एससीसी 496। यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि अमित श्रीवास (उपरोक्त) के मामले में वर्तमान मामले में लागू योजना थी

विचाराधीन है और यह अभिनिर्धारित किया गया कि मृतक कर्मचारी की मृत्यु की तारीख को प्रचलित योजना पर ही विचार किया जाना है। मामले के उस दृष्टिकोण में, खंड पीठ द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश अस्थिर है और रद्द किए जाने और दरकिनार किए जाने के योग्य है।

4.2 प्रत्यर्थी की ओर से यह निवेदन कि उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश के बाद, प्रत्यर्थी को नियुक्त किया गया है और इसलिए उसकी नियुक्ति में बाधा नहीं डाली जा सकती है, अस्वीकृति के योग्य है। एक बार डिवीजन बेंच द्वारा पारित निर्णय और आदेश जिसके तहत प्रतिवादी नियुक्त किया जाता है, रद्द कर दिया जाता है और अलग कर दिया जाता है, तो आवश्यक परिणाम सामने आएंगे और

प्रत्यर्थी, जो उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश के अनुसार था, को संरक्षित नहीं किया जा सकता है।

5. उपरोक्त और ऊपर बताए गए कारणों को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान अपील सफल होती है, 2018 के डब्ल्यू. ए. No.1559 में जबलपुर में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश को इसके द्वारा रद्द कर दिया जाता है और मध्य प्रदेश और ओ. आर. एस. राज्य द्वारा खारिज कर दिया जाता है।

वी. आशीष अवस्थी [एम. आर. शाह, जे.]

यह बताया गया है कि रुपये की राशि। 2 लाख जो नीति/योजना के अनुसार प्रतिपूरक राशि के रूप में प्रतिवादी को भुगतान किया गया था 2014 प्रत्यर्थी द्वारा वापस कर दिया गया है। यदि ऐसा है, तो वही भुगतान प्रत्यर्थी को किया जा सकता है।

2021 की सिविल अपील No.6904

2021 की सिविल अपील संख्या 6903 में निर्णय और आदेश में बताए गए कारणों के लिए, 2019 की रिट अपील संख्या 2003 में उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश भी रद्द किए जाने और दरकिनार किए जाने के योग्य है क्योंकि वर्तमान मामले में भी, उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने अपीलकर्ताओं को बाद की योजना/परिपत्र को लागू करते हुए अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए प्रतिवादी के मामले पर विचार करने का निर्देश दिया है और हालांकि मृतक कर्मचारी की मृत्यु की तारीख पर प्रचलित योजना/परिपत्र के तहत, जो प्रासंगिक समय पर कार्य प्रभार प्रतिष्ठान पर सेवा कर रहा था, भी रद्द किए जाने और दरकिनार किए जाने के योग्य है और परिणामस्वरूप, वर्तमान अपील की भी अनुमति है।

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर द्वारा 2019 के डब्ल्यू. ए. सं. 2003 में पारित दिनांक 16.12.2019 का विवादित निर्णय और आदेश है -

इसके द्वारा रद्द कर दिया जाता है और अलग रख दिया जाता है। हालाँकि, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, लागत के बारे में कोई आदेश नहीं है।

लंबित आवेदन, यदि कोई हों, तो उनका भी निपटारा कर दिया जाता है।

अंकित ज्ञान

अपी

लों का निपटारा किया गया।